संख्या–1615 / नौ–8–2001

प्रेषक,

सुधीर कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
   नगर निगम, उ.प्र.।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनांक : 10 मई, 2001**

विषय : पशुवधशालाओं में अवयस्क बच्चों से श्रमिक के रूप में कार्य लिया जाना।

महोदय,

अवगत है कि भारत संविधान के आर्टिकिल 24 के अधीन अवयस्क बच्चों से अस्वास्थ्यप्रद व्यवसायों में श्रमिक के रूप में कार्य लिया जाना प्रतिषेध है तथा चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1986 के अनुसार पशुवधशाला में अवयस्क बच्चों से श्रमिक के रूप में कार्य लिये जाने पर मुख्य रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस बात की निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सम्पूर्ण देश में पशुवधशाला में अभी भी अवयस्क बच्चे कार्यरत हैं। अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस विषय पर दिनांक 16.3.2001 को आयोजित बैठक में विचार कर निर्णय लेकर संबंधित विभागों पर यह उत्तरदायित्व अधिरोपित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित कर लें कि पशुवधशालाओं में अवयस्क बच्चे श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं हैं और यदि हैं तो उन्हें रोका जाय तथा पशुवधशालाओं के मालिकों पर नियम का उल्लंघन करने का अभियोग चलाया जाय

ताकि इस प्रकार के समस्त बच्चों को शोषण से राहत मिल सकें और उनको विद्यालयों में अवस्थानुसार अध्ययन करने तथा अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकें।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नागर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अथवा उनके द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के आधार पर चल रहे पशुवधशालाओं में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त पशुवधशालाओं में अवयस्क बच्चे श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं हैं और यदि हैं तो उन्हें रोकने का कष्ट करें तथा पशुवधशालाओं के मालिकों पर नियम का उल्लंघन करने का अभियोग चलाने का कष्ट करें।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुधीर कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या–1615(1)/नौ–8–2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कि वे कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा की गयी कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।